संख्या-17/2025/1172 /58-2-2025

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊःदिनांकः 20 नवम्बर, 2025

विषयः- खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं, महत्व और प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य सम्वर्द्धन, निर्यात तथा रोजगार सृजन की आपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन की आवश्यकता के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण के कार्यों के सम्पूर्ण क्षमता के योगदान हेतु उद्यान निदेशालय से पृथक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के तत्काल प्रभाव से गठन संबंधी अधिसूचना संख्या-16/2025/1155/58-2-2025, दिनांक 18.11.2025, खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग द्वारा निर्गत कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष विश्व के सबसे समृद्ध खाद्य विविधताओं वाले देशों में से एक है, जो हमारे स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ-साथ मूल्य संवर्धन, निर्यात और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस समृद्ध संसाधन आधार का लाभ उठाकर इसे आर्थिक प्रगति के एक मजबूत आधार में परिवर्तित करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक समर्पित, लक्षित और संस्थागत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को सशक्त बनाना न केवल किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ करने में सहायक होगा अपितु भारत को 'वर्ल्ड फूड बास्केट' के रूप में भी स्थापित करेगा। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग उद्यान विभाग के साथ के साथ सम्बद्ध और निदेशक, उद्यान के नियंत्रणाधीन था।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग उत्पाद अधिक मात्रा में उत्पादित होते है, जैसे-वाराणसी, लखनऊ में आम, प्रयागराज में अमरूद, जालौन में मटर, झाँसी में मूँग फली आदि। राज्य में बहेड़ी, बाराबंकी और वाराणसी में मेगा फूड पार्क और एग्री पार्क की स्थापना की गयी है। मूल्य श्रृंखला विकसित कर उत्पादन से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात तक एकीकृत प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से क्लस्टर विकास, कम से कम 5 इकाइयों के लिए साझा बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस कार्य को बढ़ाया जाय। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कृषि उत्पाद को ऐसे उत्पाद में परिवर्तित करना है, जो खाद्य हो अथवा एक कृषि उत्पाद में वैल्यू एडीशन करते हुए किसी अन्य खाद्य उत्पाद में परिवर्तित करना खाद्य प्रसंस्करण होता है। खाद्य प्रसंस्करण में अन्तिम उत्पाद के भौतिक गुणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है :-

(1) विनिर्मित प्रक्रियाएं- इस प्रक्रिया में उत्पाद का भौतिक गुण परिवर्तित किया जाता है और इसमें मजदूर, ऊर्जा, मशीन एवं धनराशि का प्रयोग करते हुए उत्पाद को ऐसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, जिसका व्यवसायिक मूल्य हो।

(2) अन्य मूल्य सम्वर्धन प्रक्रियाएं- इस प्रक्रिया में उत्पाद किसी विनिर्माण की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, परन्तु इसमें काफी मूल्य सम्वर्धन होता है, क्योंकि उत्पाद के सुरक्षित उपयोग अवधि (सेल्फ लाइफ) में बढ़ोत्तरी होती है और खाने के लिए तैयार अवस्था में इसे लाया जाता है।

3. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण, कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन पर 35% का अनुदान स्थापित होने वाली इकाईयों को दिया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स पर 90% सब्सिडी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन पर कोर्स, स्टार्टअप्स को अधिकतम रू0-5 करोड़ तक सहायता दी जाती है। कैपिटल सब्सिडी 35%(अधिकतम रू0-5 करोड़), ब्याज सब्सिडी 100% माइक्रो इकाइयों के लिए दिये जाने का प्राविधान है। वेयरहाउस और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करते हुए 1909 कोल्ड चेन से बढ़ाकर 5000 तक किये जाने का लक्ष्य है। निजी निवेश आकर्षित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 का विस्तार, स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आवास विभाग द्वारा लिये जाने वाले वाहय विकास शुल्क की दरों में 75% तक की छूट दिये जाने की व्यवस्था है तथा भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट दिये जाने की व्यवस्था है।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के योगदान और उनके कार्यनिष्पादन में बाधा पहुंचाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने एक पैकेज सहायता तथा सेवाओं के माध्यम से "पीएम एफएमई" (प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन) योजना संचालित की है। इस योजना के अन्तर्गत-तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड-होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता विकास करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना, सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ लेने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ना, सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृखला में सहायता करना आदि है।

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना "पीएम एफएमई" में उन्नयन हेतु विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रूपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दी जाती है, स्वयं सहायता समूहों/एफपीओ/सहकारिताओं को कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिकतम 300 लाख रूपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दी जाती है, वर्किंग कैपिटल के रूप में खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को 40,000/- रूपये की दर से प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था है तथा 50 प्रतिशत तक बिक्री और ब्रांडिंग के लिए सहायता की व्यवस्था है।

4. इस सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.11.2025 द्वारा स्थापित खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में विशेष सचिव के स्तर के अधिकारी को निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण का प्रभार दिये जाने की व्यवस्था का प्राविधान है।

चूंकि नियुक्ति अनुभाग-1 के आदेश दिनांक 17.09.2025 द्वारा विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को विभागाध्यक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश के पदीय दायित्वों के निर्वाहन हेतु अतिरिक्त प्रभार पूर्व से ही प्रदान किया गया है। तत्क्रम में खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.09.2025 द्वारा विभागाध्यक्ष/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान करने हेतु आदेश पूर्व से ही निर्गत कर दिये गये हैं।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थित के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन एवं अन्य अनुवर्ती कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-17/2025/1172 (1)/58-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
7-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8-गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9-वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
10-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12-निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13-निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14-वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in